

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

विषय परिचय एवं परिभाषायें

1.1 पृष्ठभूमि : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 1953 के अन्तर्गत बनाये गये सांख्यिकीय संग्रहण केन्द्रीय नियमावली 1959 के अधीन किया जाता है। यह सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के निर्देशन में प्रारम्भ किया गया था। बाद में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (स्टेटिस्टिकल अथॉरिटी) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य उन के ही नियंत्रण में किया जाने लगा। प्रदेश में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 1961 से भारत सरकार के दिशा निर्देशन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 से यह सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 तथा उक्त अधिनियम के आधार पर बनाई गयी नियमावली 2011 के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

1.2 उद्देश्य :

- (क) विनिर्माण उद्योग के विभिन्न आँकड़ों का संग्रहण।
- (ख) राज्य/जिला आय के निर्धारण में पंजीकृत विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आँकलित करना।
- (ग) उद्योगों की सामूहिक रूप में तथा प्रत्येक प्रकार के उद्योग की या इकाई की संरचना का व्यवस्थित अध्ययन करना।
- (घ) नीति निर्धारण के लिए व्यापक, तथ्यात्मक एवं सुव्यवस्थित आधार का निर्माण करना।

1.3 सर्वेक्षण का आच्छादन :

- (क) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अन्तर्गत वे सभी औद्योगिक इकाइयाँ सम्मिलित हैं जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2m(i) एवं 2m(ii) के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। धारा 2m(i) के अन्तर्गत वे कारखाने सम्मिलित हैं जिनमें शक्ति की सहायता से कर्मकरों की संख्या 10 या उससे अधिक होती है तथा धारा 2m(ii) के अन्तर्गत वे कारखाने सम्मिलित हैं जिनमें बिना शक्ति की सहायता से कर्मकरों की संख्या 20 या उससे अधिक होती है।
- (ख) बीडी व सिगाार की इकाइयाँ जो बीडी व सिगाार श्रमिक (रोजगार शर्ती) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।
- (ग) विद्युत जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित कार्य में लगे हुए समस्त विद्युत उपक्रम जो केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण (CEA) के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में सम्मिलित है।

रक्षा मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन संस्थाएं, तेल संग्रहण एवं वितरण करने वाली इकाइयाँ, भोजनालय एवं जलपान गृह एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आदि जो ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते जिनका विक्रय अथवा विनिमय किया जा सके, को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण क्षेत्र के बाहर रखा गया है। वर्ष 1999-2000 से कैप्टिव (Captive) इकाइयाँ को छोड़कर सभी

बिजली से सम्बन्धित उपक्रमों एवं सभी विभागीय उपक्रम जैसे रेलवे वर्कशाप आदि को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की परिसीमा से बाहर रखा गया है।

1.4 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण फ्रेम : वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का फ्रेम प्रदेश में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा रखी जा रही पंजीकृत कारखानों की सूची तथा बीड़ी एवं सिगार प्रतिष्ठानों एवं विद्युत उपक्रमों के सम्बन्ध में लाईसेन्सिंग प्राधिकरणों द्वारा रखी जा रही सूचियों पर आधारित है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को संशोधित करते समय जिन कारखानों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है उनके नाम को फ्रेम से हटा दिया जाता है तथा फ्रेम को अद्यतन करते समय केवल नये पंजीकृत कारखानों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम का संशोधन/अद्यतन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार, के क्षेत्र संकार्य प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक के साथ परामर्श करके किया जाता है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, वर्ष 2016-17 के फ्रेम में कुल 15357 कारखानें सम्मिलित थे।

1.5 सर्वेक्षण अवधि : प्रदेश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 का सर्वेक्षण कार्य माह जनवरी, 2018 से सितम्बर, 2018 के मध्य सम्पन्न कराया गया।

1.6 अनुसूची का विवरण :

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुसूची भाग-1 (विवरणी) का उद्देश्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मर्दे- (देशी एवं आयातित), उत्पाद एवं उपोत्पाद, विभाजक व्यय आदि के सम्बन्ध में आंकड़े संग्रह करना है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसूची (भाग-1) का प्रारूप परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

1.7 संकल्पना एवं परिभाषा :

1.7.1 संदर्भ वर्ष :

कारखानों का लेखा वर्ष जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किसी दिन समाप्त हुआ हो, को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016-17 के लिए संदर्भ अवधि माना गया है। अतः 2016-17 में संग्रहीत आंकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

1.7.2 कारखाना :

कारखाना का अभिप्राय उन कारखानों से है जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (i) एवं 2 एम (ii) के अधीन पंजीकृत है। उक्त धारा 2 एम (i) एवं 2एम (ii) का संबंध अपनी परिसीमाओं सहित किसी ऐसे परिसर से है, (क) जहाँ दस या इससे अधिक

कमी काम कर रहे हो अथवा पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन काम कर रहे थे एवं जिसके किसी भी भाग में बिजली की सहायता से विनिर्माण कार्य चल रहा हो अथवा साधारणतः ऐसा किया जाता रहा हो अथवा (ख) जहाँ बीस या इससे अधिक कमी काम कर रहे हों या पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भी भाग में बिजली की सहायता के बिना विनिर्माण कार्य चल रहा हो अथवा साधारणतः ऐसा किया जाता रहा हो।

1.7.3 स्थायी पूंजी :

स्थायी पूंजी का सम्बन्ध लेखा वर्ष के अंतिम दिन तक किसी कारखाने द्वारा धारित स्थायी परिसम्पत्तियों के मौद्रिक मूल्य से है। स्थायी परिसम्पत्ति वह है जिसका सामान्य अर्जन काल एक वर्ष से अधिक हो। स्थायी सम्पत्ति में भूमि एवं पट्टे पर ली गयी भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर, जुड़नार, परिवहन, उपस्कर, जल प्रणाली एवं सड़क सम्मिलित है तथा अन्य स्थायी सम्पत्ति जैसे अस्पताल, स्कूल सम्मिलित है, जिसका उपयोग कारखानों के कार्मिकों के हित के लिए उपयोग में लाया जाता है।

1.7.4 भौतिक कार्यशील पूंजी :

भौतिक कार्यशील पूंजी से तात्पर्य किसी लेखा वर्ष के आखिरी दिन की स्थिति के अनुसार कच्ची सामग्री अवयव, ईंधन एवं स्नेहक पुर्जे एवं अन्य भण्डार अर्द्धनिर्मित माल और निर्मित माल सहित सभी माल सूची से है। तथापि इसमें कारखाने को माल तैयार करने हेतु अन्य द्वारा आपूर्ति किए सामग्रियों, ईंधनों, स्टोर्स इत्यादि के स्टॉक तथा अन्य के द्वारा आपूर्ति किए गए कच्ची सामग्रियों से फैक्टरी द्वारा तैयार किए गए परिसज्जित माल इसमें सम्मिलित नहीं है।

1.7.5 कार्यशील पूंजी :

लेखा वर्ष के अंत तक भौतिक कार्यशील पूंजी जिसकी परिभाषा उपर दी जा चुकी है एवं हाथ रोकड़ तथा बैंक में उपलब्ध रोकड़ और कारखाने द्वारा अदा की जाने वाली देय राशि पर किए गए अधि-भुगतान के कारण प्राप्त शेष राशि का कुल योग ही कार्यशील पूंजी है। तथापि कार्यशील पूंजी में अव्यवहत ओवरड्राफ्ट सुविधा, सावधि जमा राशि, चाहे उनकी अवधि कुछ भी हो, स्थायी परिसम्पत्ति अधिग्रहणक हेतु ली गई अग्रिम राशि, मालिकों एवं साझेदारों द्वारा लिए गए ऋण एवं अग्रिम, चाहे उनका उद्देश्य एवं अवधि कुछ भी हो, दीर्घकालिक ऋण तथा उस पर देय व्याज और नियोजन को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

1.7.6 उत्पादक पूंजी :

उपर्युक्त परिभाषित स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी के योग को उत्पादन पूंजी कहते हैं।

1.7.7 नियोजित पूंजी :

उपर्युक्त परिभाषित स्थायी पूंजी एवं भौतिक कार्यशील पूंजी के योग को नियोजित पूंजी कहते हैं।

1.7.8 संयंत्र एवं मशीनरी का सकल मूल्य :

इसका तात्पर्य लेखा वर्ष के अन्त तक संस्थापित संयंत्र एवं मशीनरी के कुल वास्तविक मूल्य (मूल्य-ह्रास के पूर्व) से है। इसमें नये संस्थापित संयंत्र एवं मशीनरी के खाता मूल्य को तथा किराये पर लिये गए संयंत्र और मशीनरी के मामले में किराये पर लिए जाने समय उसके अनुमानित मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, परन्तु किराये पर दिये गए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। भाड़ा-क्रय के आधार पर लिए गए समस्त संयंत्रों और मशीनरी के कुल मूल्य को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।

1.7.9 बकाया ऋण :

बकाया ऋण का तात्पर्य उन सभी ऋणों से है, चाहे वे अल्पकालिक हों या दीर्घकालिक, चाहे उन पर व्याज देय हो अथवा नहीं, जो लेखा वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार कारखाने के खाते में बकाया हो।

1.7.10 किराए का भुगतान :

इसका संबंध कारखाना की स्थायी परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए किराए के रूप में भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि से है।

1.7.11 ब्याज का भुगतान :

ऋणों पर कारखाना खाते से भुगतान किए गए सभी ब्याज इसमें सम्मिलित हैं चाहे वे ऋण अल्पकालिक या दीर्घकालिक एवं जिस अभिकरण से ऋण लिया गया था उसकी प्रकृति कुछ भी क्यों न हो। इसमें कारखाना के साझेदारों एवं मालिकों को पूंजी पर या ऋण पर दिया गया ब्याज सम्मिलित नहीं किया गया है।

1.7.12 किराये की प्राप्ति :

इसका तात्पर्य उस राशि से है जो कारखाना की स्थायी परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए किराये के रूप में प्राप्त की जाती है।

1.7.13 ब्याज की प्राप्ति :

ऋणों पर कारखाने के खाते से प्राप्त किये गये सभी ब्याज इसमें सम्मिलित है चाहे ऋण अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो एवं चाहें जिस किसी प्रकार के अभिकरण को ऋण दिया गया हो एवं उसकी अवधिकाल चाहे कुछ भी हो। साझेदारों एवं मालिकों से पूंजी या ऋण पर प्राप्त किया गया ब्याज इसमें सम्मिलित नहीं है।

1.7.14 कामगार :

कामगार की परिभाषा में सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है जो सीधे या किसी एजेंसी के द्वारा मजदूरी पर या बिना मजदूरी के किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाई जाने वाली किसी भी मशीन या स्थान के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया या विनिर्माण प्रक्रिया के विषय में, प्रसंग में या उससे संबंधित किसी भी कार्य में नियुक्त किया गया हो। कारखाने द्वारा स्वयं के लिये स्थायी परिसम्पत्ति की मरम्मत एवं रख रखाव या उत्पादन में नियोजित श्रमिक एवं विद्युत उत्पादन, या कोयला, गैस आदि के उत्पादन में लगे श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया है।

1.7.15 कर्मचारी :

कर्मचारी में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार सभी कर्मी और व्यक्ति सम्मिलित हैं जो मजदूरी प्राप्त कर रहे हो, इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यालय, स्टोर का हिसाब रखने वाले अनुभाग, कल्याण अनुभाग एवं बिक्री अनुभाग में पर्यवेक्षीय या प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत हैं तथा साथ ही जो कच्चे माल आदि की खरीद या कारखाने के लिए स्थायी परिसम्पत्ति की खरीद और उसकी पहरेदारी एवं निगरानी में नियुक्त हैं, को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

1.7.16 नियोजित कुल व्यक्ति :

इसमें उपरोक्त परिभाषित कर्मचारी तथा सभी सक्रिय मालिकों एवं उनके परिवार के उन सदस्यों को सम्मिलित किया गया है जो बिना किसी वेतन के कारखाना के कार्य में सक्रिय रूप से जुड़े हों तथा सहकारी समितियों के वे सदस्य जिन्होंने बिना वेतन के कारखाना के लिए प्रत्यक्षतः और उत्पादक हैसियत से कार्य किया हो, को भी सम्मिलित किया गया है। श्रमिकों या कर्मचारियों की संख्या वह औसत संख्या है जो संदर्भ वर्ष के दौरान कारखाने में किए गए कुल कार्य दिवसों को, कुल श्रम दिवसों की संख्या से विभाजित कर निकाला गया है।

1.7.17 श्रम दिवस :

श्रम दिवस में कार्य किये गए कुल दिवसों की संख्या के साथ ही वह श्रम दिवस भी सम्मिलित है जिनके लिए लेखा वर्ष के दौरान कारखाने द्वारा भुगतान किया गया है। यह संख्या समस्त कार्य दिवसों में चलने वाली समस्त पारियों में से प्रत्येक पारी में उपस्थित विशेष श्रेणी के कर्मियों की संख्या को जोड़कर निकाली जाती है।

1.7.18 मजदूरी एवं वेतन :

मजदूरी एवं वेतन की परिभाषा में ऐसे सभी पारिश्रमिक शामिल हैं जिन्हें धनराशि के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा जिसका भुगतान कर्मचारियों को लेखा वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक वेतन अवधि के लिए न्यूनाधिक रूप से नियमित रूप से किया जाए। इसमें शामिल है (क) प्रत्यक्ष मजदूरी एवं वेतन (अर्थात् मूल

मजदूरी/वेतन, समय-समय पर भत्ते का भुगतान, मंहगाई, प्रतिपूर्ति, गृह किराया एवं अन्य भत्ते), (ख) अकार्य अवधि अनुग्रह पूर्वक के लिए पारिश्रमिक (अर्थात् छुट्टी की अवधि के लिए देय मूल मजदूरी, वेतन तथा भत्ते, अवकाश दिवस का भुगतान, बेरोजगारी के लिए ले ऑफ पेमेन्ट्स एवं क्षतिपूर्ति जिनका भुगतान नियोगकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से न किया गया हो), (ग) बोनस और अनुग्रहित अदायगियों, जिनका भुगतान नियमित रूप से एवं कभी-कभी, दोनों ही रूप में किया जाता है। (अर्थात् प्रोत्साहन बोनस, उत्पादकता बोनस, लाभांश बोनस, उत्सव अथवा वर्षान्त बोनस आदि) शामिल है। इसी विशेष प्रयोजन के लिए स्थापित किसी न्यास या किन्हीं विशिष्ट निधियों से किया जाता हो अर्थात् जिसका भुगतान नियोगकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है, इसमें शामिल नहीं है। इसमें हितलाभों का वस्तुरूप में आरोपित मूल्य, वृद्धावस्था हितलाभों के लिए नियोक्ता का अंशदान एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रभार, प्रसूति सुविधा एवं शिशु गृहों पर होने वाला प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य सामूहिक हितलाभ भी इसमें शामिल नहीं हैं। व्यवसाय के उद्देश्य से खर्च किया गया यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय जिनका पुनर्भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया हो, इसमें शामिल नहीं है। “मजदूरी” को सकल मूल्य अर्थात् जुमाने, क्षतिपूर्ति कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान आदि हेतु की जाने वाली कटौती के पूर्व, के रूप में व्यक्त किया जाता है।

1.7.19 भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान :

इसमें भविष्य निधि, पेंशन, उपदान जैसे- वृद्धावस्था हितलाभ एवं कर्मचारी राज्य बीमा, कार्यरत अवस्था में हुई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति, व्यवसायजन्य रोग, भविष्य निधि सह-बीमा, छटनी एवं कामबंदी सुविधाओं जैसे- सामाजिक सुरक्षा प्रभारों पर नियोक्ता का अंशदान सम्मिलित है।

1.7.20 कर्मकार एवं कर्मचारी कल्याण व्यय :

इसमें सामूहिक हितलाभ जैसे- प्रसूति, शिशुगृह, कैंटीन सुविधाओं, शैक्षिक सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सुविधाओं तथा ट्रेड यूनियन एवं कर्मचारियों के लिए सहकारी भंडार आदि पर होने वाला प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है।

1.7.21 कुल परिलब्धियाँ :

कुल परिलब्धियों की परिभाषा में मजदूरी एवं वेतन, भविष्य निधि और अन्य निधियों के रूप में नियोक्ता का अंशदान तथा उपयुक्त दी गई परिभाषा के अनुसार श्रमिक एवं कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित है।

1.7.22 खपत किया गया ईंधन :

इसके अन्तर्गत लेखा वर्ष के दौरान कारखाने द्वारा खपत किए गये सभी प्रकार के ईंधनों जैसे- कोयला, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली, स्नेहक, जल इत्यादि का कुल खरीद मूल्य आता है, लेकिन उन वस्तुओं को छोड़कर जो सीधे विनिर्माण प्रक्रिया में काम आता है।

1.7.23 खपत की गयी सामग्री :

इसका सम्बन्ध कच्चे माल की सभी मदों, घटकों, रसायनों, पैकिंग सामग्रियों एवं स्टोर्स जिनका उपयोग लेखा वर्ष के दौरान वास्तविक रूप में फैक्टरी की उत्पादन प्रक्रिया में किया गया हों, से है। इसमें उन सभी सामग्रियों की लागत भी शामिल हैं जिनका उपयोग फैक्टरी के अपने उपयोग के लिए निर्माण कार्य के लिए किया गया हो, लेकिन इसमें लेखा वर्ष के दौरान उपभोग में लाए गए सभी मध्यवर्ती उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती उत्पाद का तात्पर्य उन सभी उत्पादों से है जिनका उत्पादन फैक्टरी द्वारा किया गया हो, लेकिन उनसे पुनः विनिर्माण कार्य किया जाता हो।

1.7.24 कारखाना बाह्य मूल्य :

यह विनिर्मित सभी उत्पादों एवं उप-उत्पादों के शुद्ध विक्रय मूल्य की दर है जिसे विक्रय-कर, उत्पाद शुल्क एवं प्रत्येक मदों के संबंध में वास्तविक विक्रय मूल्य से (आर्थिक सहायता इत्यादि सहित) अन्य वितरक व्यय से कटौती करके प्राप्त किया जाता है।

1.7.25 कुल आगत :

कुल आगत के अन्तर्गत ईंधन, उपभोग की गई सामग्रियों के साथ-साथ कारखाने द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों पर दूसरे कारखाने द्वारा करवाए गए अनुबन्ध एवं कमीशन कार्य की लागत कारखाने की स्थायी परिसम्पत्ति की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए उपभोग की गई सामग्रियों की लागत जिसमें दूसरे कारखानों द्वारा कारखाने की स्थायी परिसम्पत्ति की मरम्मत एवं रख-रखाव की लागत शामिल है, आवक मालभाड़ा एवं परिवहन प्रभार (आयकर सहित देय कर) डाक शुल्क, टेलीफोन एवं टेलेक्स खर्च, बीमा प्रभार, बैंकिंग प्रभार, एवं छपाई तथा लेखन सामग्री की लागत एवं जिस स्थिति में क्रय किया गया हो, उसी स्थिति पर बेचे गए सामानों का क्रय मूल्य भी शामिल किया जाता है। इनमें भुगतान किया गया किराया एवं ब्याज शामिल नहीं है।

1.7.26 कुल निर्गत :

इसमें विनिर्मित उत्पाद एवं उप-उत्पादों का कुल फैक्टरी-वाह्य मूल्य शामिल है तथा अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं, जैसे- अन्य को दी गई गैर औद्योगिक सेवा से प्राप्तियाँ, अन्य को उनके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों पर किये गए कार्य, उत्पादित एवं बिक्री की गई बिजली का मूल्य, जिस स्थिति में सामान खरीदे गए उसी स्थिति में बेचे गए विक्रय मूल्य, अर्द्धनिर्मित सामानों के स्टॉक में परिवर्धन तथा स्वयं अपना निर्माण आदि। प्राप्त किराया एवं ब्याज इसमें शामिल नहीं है।

1.7.27 मूल्य ह्रास :

लेखा वर्ष के दौरान टूट-फूट एवं अप्रचलन के कारण होने वाला स्थायी पूँजी का उपभोग ही मूल्य ह्रास है और इसका निर्धारण कारखाना मालिक द्वारा किया जाता है अथवा जिसका प्राक्कलन संस्थापन लागत तथा स्थायी पूँजी के अर्जन काल के आधार पर किया जाता है।

1.7.28 शुद्ध आवार्धित मूल्य :

इसकी गणना कुल निर्गत से कुल आगत एवं ह्रास की कटौती करके की जाती है ।

1.7.29 खपत किया अवयव एवं उपसाधन :

यह खपत किया गया सामग्रियों का भाग है तथा इसे विशेष प्रकार के खपत के रूप में अलग से दिखाया गया है ।

1.7.30 वास्तविक उपयोग पर खपत की गई आयातित सामग्री :

इसमें खपत की गई वह सामग्री शामिल है जो कि अन्य देशों से आयात की हो। यह कच्ची सामग्री या ईंधन या अवयव तथा आदान (इनपुट) बास्केट का उपसाधन हो सकता है।

1.7.31 अर्द्ध तैयार माल :

इसका संबंध उन सभी सामग्रियों के आरोपित मूल्य से है जिनका प्रक्रमण आंशिक रूप से कारखाना द्वारा किया गया हो लेकिन जिन्हें सामान्यतः बिना पुनः प्रक्रियाकरण के नहीं बेचा जाता। इसमें दूसरों द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों के लिए कार्य भी शामिल है लेकिन कारखाना द्वारा अपने उपयोग के लिए उत्पादित अर्द्ध तैयार स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है।

1.7.32 तैयार माल :

कारखाने का यह वह अन्तिम उत्पाद है जो बिक्री के लिए तैयार है। इसमें और प्रक्रमण करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें पैकेजिंग तथा लेबलिंग इत्यादि की आवश्यकता है।

1.8 उद्योगों का वर्गीकरण :

वर्ष 2016-17 में उद्योगों का वर्गीकरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी.)-2008 के अनुसार किया गया है। एन.आई.सी. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण फ्रेम के सभी कारखानों को उनके द्वारा विनिर्मित मुख्य उत्पाद के मूल्य के आधार पर समुचित उद्योगों के समूहों के रूप में वर्गीकृत करती है। इस पद्धति से कोई इकाई किसी उद्योग समूह में केवल एक ही बार वर्गीकृत की जाती है चाहे उक्त इकाई द्वारा विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित उत्पादों का विनिर्माण क्यों न किया जा रहा हो। इस रिपोर्ट में उद्योगों की दो एवं तीन स्तर तक प्रस्तुत किये गये अनुमान एन.आई.सी.-2008 के अनुरूप है। वर्गीकरण का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 में दर्शाया गया है।

1.9 प्रतिबंध :

सांख्यिकी संग्रह अधिनियम अलग-अलग कारखानों से सम्बन्धित आंकड़ों के प्रकटीकरण का निषेध करता है। इसलिए किसी जनपद में किसी उद्योग वर्ग के अन्तर्गत यदि कारखानों की संख्या 3 से कम है तो संबन्धित स्तर के ऐसे सभी एककों के पहचान को गुप्त

रखने के लिये उन्हें समान उद्योग के अनुसार उसी मण्डल के ऊपर या नीचे के जनपद में जोड़ दिया जाता है।

सभी प्रकार के आकलनों में, किसी वस्तु की मात्रा एवं मूल्य के आंकड़ों के लिये सांख्यिकीय त्रुटि अपरिहार्य है क्योंकि चुने गये नमूनों के आधार पर इनका आकलन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत रिपोर्ट में सारणियों/तालिकाओं के मूल्यों एवं संख्या में गुणक लगाकर पूर्णांक बनाने में संघटकों का योग कुल योग से किंचित भिन्न भी हो सकता है।

Government of India
 Ministry of Statistics and Programme Implementation
 Return under Collection of Statistics Act, 2008 as amended in 2017 and rules framed there under in 2011
 Annual Survey of Industries 2017-2018 (Part –I)
(Please read the instructions before filling the return)

Block A: Identification particulars (for official use)					
1. Schedule Despatch (DSL) No.					
2. PSL No.					
3. Scheme code (<i>Census-1, Sample-2</i>)					
4. Industry code as per frame (4-digit level of NIC-2008)					
5. Industry code as per return (5-digit level of NIC-2008)					
6. Description of Industry:					
7. State Code					
8. District Code					
9. Sector (<i>Rural-1, Urban-2</i>)					
10. RO /SRO code					
11. No. of Units					
12. Status of Unit (<i>Code</i>)					

Block B: Particulars of the factory (to be filled by owner of the factory)					
1. Name and address of the Industrial undertaking:		1.1 Vill./Town:			
		1.2 District name:			
		1.3 State name:			
		1.4 PIN Code			
2. Type of organisation (<i>code</i>)					
3. Corporate Identification Number (CIN)					
4. Whether the unit has ISO Certification, 14000 Series (<i>yes-1, no-2</i>)					
5. Year of initial production					
6. Accounting year (..... to				to	
7. Number of months of operation					
8. Whether the share capital of the company includes share of foreign entities (<i>yes-1, no-2</i>)					
9. Any R&D unit in your factory? (<i>yes & registered with DST/DBT-1, yes & registered with others-2, no-3</i>)					
10. Details of contact person		i) Name & designation:			
		ii) Tele (with STD code)			
		iii) FAX no.			
		iv) E-mail			

DECLARATION

I hereby declare that information furnished in this return is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Date :

Place :

(Name and Signature of owner with stamp)

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Block D: WORKING CAPITAL AND LOANS			
Sl. No.	Items	Opening (Rs.)	Closing (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raw Materials & Components and Packing materials		
2.	Fuels & Lubricants		
3.	Spares, Stores & others		
4.	Sub-total (items 1 to 3)		
5.	Semi-finished goods/work in progress		
6.	Finished goods		
7.	Total inventory (items 4 to 6)		
8.	Cash in Hand & at Bank		
9.	Sundry Debtors		
10.	Other current assets		
11.	Total current assets (items 7 to 10)		
12.	Sundry Creditors		
13.	Over draft, cash credit, other short term loan from banks & other financial institutions		
14.	Other current liabilities		
15.	Total current liabilities (items 12 to 14)		
16.	Working Capital (item 11-item 15)*		
17.	Outstanding loans (excluding interest but including deposits)**		
<i>Note:</i>			
* Give reasons in the footnote for negative values and abnormal verification in opening and closing values.			
** If outstanding loans include interest, a footnote may be given			

Block E: EMPLOYMENT AND LABOUR COST							
Sl. No.	Category of staff	Man-days worked			Average number of persons worked	No. of mandays paid for	Wages/ salaries (in Rs.)
		Manu- facturing	Non Manufacturing	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8
Part A: Details for each category of staff							
1.	Male workers employed directly						
2.	Female workers employed directly						
3.	Sub-total (items 1 + 2)						
4.	Workers employed through contractors						
5.	Total workers (items 3 + 4)						
6.	Supervisory & managerial staff						
7.	Other employees						
8.	Unpaid family members/ proprietor/ coop. members						
9.	Total employees (items 5+6+7+8)						
Part B: Some details for all categories of staff combined							
10.	Bonus (in Rs.)						
11.	Contribution to provident & other funds (in Rs.)						
12.	Workmen & staff welfare expenses (in Rs.)						
13.	Number of working days	(i) Manufacturing days					
		(ii) Non-manufacturing days					
		(iii) Total (i+ ii)					
14.	Total cost of production (in Rs.) [entry in col. 8 of item 9, 10, 11, and 12, block E + entry in col. 3 of item 1, 2(i), 2(ii), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10, block F + entry in col. 6 of item 23 of block H + entry in col. 6 of item 7, block I]						

Block F : OTHER EXPENSES		
Sl. No.	Items	Expenditure (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
O T H E R I N P U T	1.	Work done by others on materials supplied by the industrial undertaking
	2.	Repair & maintenance of
		(i) Buildings and other construction
		(ii) Other fixed assets
	3.	Operating expenses
	4.	Expenses on raw materials and other components for own construction
	5.	Insurance charges
	6.	Rent paid for plant & machinery and other fixed assets
	7.	Expenses on Research & Development (R&D)
	8.	Rent paid for buildings
	9.	Rent paid for land on lease or royalties on mines, quarries and similar assets
10.	Interest paid	
11.	Purchase value of goods sold in the same condition as purchased	

Block G: OTHER OUTPUT/RECEIPTS		
Sl. No.	Items	Receipts (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
O T H E R O U T P U T	1.	Receipts from manufacturing services (including work done for others on materials supplied by them and sale value of waste left by the party)
	2.	Receipts from non-manufacturing services (including non-industrial services)
	3.	Value of electricity generated and sold
	4.	Value of own construction
	5.	Net balance of goods sold in the same condition as purchased. (item 11 of block G <i>minus</i> item 11 of block F)
	6.	Rent received for plant & machinery and other fixed assets
	7.	Variation in stock of semi-finished goods (col.4 <i>minus</i> col 3 against item 5 in block D)
	8.	Rent received for buildings
	9.	Rent received for land on lease or royalties on mines, quarries and similar assets
	10.	Interest received
	11.	Sale value of goods sold in the same condition as purchased
	12.	Other production subsidies

DSL No PSL No

Block H: Indigenous input items consumed (if needed, additional sheets may be used for recording input items with serial nos. starting from 25)						
Sl. No.	Item description	Item code (NPC-MS)	Unit of quantity	Quantity consumed	Purchase value (in Rs.)	Rate per unit (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Major ten basic items (indigenous)					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Other basic items (indigenous)*	9920100				
12.	Total basic items (items 1 to 11)	9990100				
13.	Non-basic chemicals – all kinds	9920300				
14.	Packing items	9990800				
15.	Electricity own generated	9990400	KWH			
16.	Electricity purchased & consumed	9990500	KWH			
17.	Petrol, diesel, oil, lubricants consumed	9990600				
18.	Coal consumed	9990700	Tonne			
19.	Gas consumed	9990900	KG			
20.	Other fuel consumed	9920400				
21.	Consumable store	9922000				
22.	Total non-basic items (items 13 to 21)	9992000				
23.	Total inputs (items 12+ 22)	9993000				
24.	Any additional requirement of electricity (unmet demand)	9999999	KWH			

* Full description of items not in NPC-MS 2011 (Revised):

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Block I: Imported input items consumed - directly only (if needed, additional sheets may be used for recording input items with serial nos. starting from 8)						
Sl. No.	Item description (Major five imported items)	Item code (NPC-MS)	Unit of quantity	Quantity consumed	Purchase value (in Rs.)	Rate per unit (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Other imported items	9922100				
7.	Total imports (consumed) (items 1 to 6)	9994000				

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Block J: Products and by-products manufactured by the unit (if needed, additional sheets may be used for recording output items with serial nos. starting from 14)												
Sl. No.	Products/By-products description (First ten major items as per value - no brand name)	Item code (NPC-MS)	Unit of quantity	Quantity manufactured	Quantity sold	Gross sale value (Rs)	Distributive expenses (Rs.)				Per unit net sale value (Rs. 0.00) (col. 7-[col. 8+col. 9+col.10-col.11]) ÷ col. 6	Ex-factory value of quantity manufactured (Rs.) (col.12× col.5)
							Goods and Services Tax (GST)	Excise Duty/ Sales Tax/VAT/ Other Taxes, if any	Other Distributive Expenses	Subsidy (-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.	Other products/ by-products*	9921100										
12.	Total (items 1 to 11)	9995000										
13.	Share (%) of products/by-products directly exported											

* Full description of items not in NPC-MS 2011 (Revised):

DSL No PSL No

Block K: Information and Communication technology (ICT) usage		
Sl. No.	ICT indicator	yes-1, no-2
1.	Did the factory use computer/s during FY 2017-18?	
2.	Did the factory use the internet during FY 2017-18?	
3.	Did the factory have a website as on the date of survey?	
4.	Did the factory receive orders via the internet during FY 2017-18?	
5.	Did the factory place orders for business purpose via the internet during FY 2017-18?	
6.	Did the factory connect to the internet either by a. Narrowband or b. Fixed broadband or c. Mobile broadband during FY 2017-18?	
7.	Does the factory have a local area network (LAN) as on the date of survey?	

Block L: Energy Conservation (EC) measures		
Sl. No.	EC indicator	yes-1, no-2
Have any measures been taken during last financial year with regard to:		
1.	Electrical saving?	
2.	Coal saving?	
3.	Oil saving?	
4.	Gas saving?	

FOR OFFICIAL USE ONLY

Block M: Particulars of field operations					
1.	Name of Superintending Officer		5.	Date of receipt from factory	
2.	Signature of Superintending Officer		6.	Date of verification/compilation	
3.	Name & Designation of Scrutinising Officer		7.	Date(s) of scrutiny	
4.	Signature of Scrutinising Officer		8.	Date of despatch	

Block N: Comments of Superintending Officer/Scrutinising Officer
<p><i>Note: Reasons for negative working capital and for any abnormal values or entries (high or low) in respect to important characteristics (Such as GVA, working capital, wage rate, number of workers, distributive expenses, depreciation etc.) should be given invariably. For instance the reasons for high GVA could be increased demand/production, profit, govt. subsidy; or for low GVA, the reasons could be decreased demand/production, capacity under-utilization, high input cost etc. similarly reasons for any abnormal values of certain important ratios eg. Ratio of output to input, ratio of depreciation/distributive expenses to output etc should be given.</i></p> <p>Please refer to detailed instructions also for further guidance.</p>

Annual Survey of Industries 2017-2018

Part A

Report of scrutiny on Part-I of the return

State (code) _____ Distt. (code) _____ DSL No./PSL No. _____
 Ind. code (5-digit NIC 2008) as per return _____ Scheme Code _____

Sl. No.	Bl. no.	Item	Unit	Average rate per unit*	If high or low, reasons to be furnished by	
1	H	Input items (Indigenous) Major Ten basic items consumed	X	X	Superintending Officer	Scrutinising Officer
		1)				
		2)				
		3)				
		4)				
		5)				
		6)				
		7)				
		8)				
		9)				
		10)				
		11) Electricity purchased				
		12) Coal				
2	I	Directly imported items consumed (major five items)				
		1)				
		2)				
		3)				
		4)				
		5)				

*Average value per unit in nearest whole rupee is to be reported.

3. Percentage yield of product from the basic materials consumed (in case the quantity are common or directly convertible in whole number)

4	Item	Current year (2017-18)	Previous year (2016-17)	Reasons for significant variation, if any.
	1) Average salaries/wages per manday worked (Rs.) (E _{5,8} / E _{5,5})			
	2) Total worker (number) (E _{5,6})			
	3) Total employees (number) (E _{9,6})			
	4) Total emoluments (E _{9,8} + E _{10,8} + E _{11,8} + E _{12,8})			
	5) Variation in finished goods (D _{6,4} - D _{6,3})			
	6) Working Capital (D _{16,4})			
	7) Total input (F _{1,3} +F _{2a,3} +F _{2b,3} +F _{3,3} +F _{4,3} +F _{5,3} +F _{6,3} +F _{7,3}) (+) (H _{23,6}) (+) (L _{7,6})			
	8) Total output (J _{12,7}) (-) (J _{12,8} +J _{12,9} +J _{12,10} -J _{12,11}) + (D _{6,4} - D _{6,3}) + (G _{1,3} +G _{2,3} +G _{3,3} +G _{4,3} +G _{5,3} +G _{6,3} +G _{7,3})			
	9) Gross value added (GVA) (Item 8-Item 7 as above)			

Item	Current year (2017-18)	Previous year (2016-17)	Reasons for significant variation, if any.
10) Net value added (Item 9 as above) - Depreciation (C _{10,9})			
11) Net Income (Item 10 as above) (-) (F _{8,3} +F _{9,3} +F _{10,3}) (+) (G _{8,3} +G _{9,3} +G _{10,3})			
12) Profit (Item 11 as above) (-) (E _{9,8} +E _{10,8} +E _{11,8} +E _{12,8})			
13) Actual addition to fixed assets (C _{10,5})			
14) GVA (through Ex-factory Value) (J_{12,13}) (+) (G _{1,3} +G _{2,3} +G _{3,3} +G _{4,3} +G _{5,3} +G _{6,3} +G _{7,3}) (-) (F _{1,3} +F _{2a,3} +F _{2b,3} +F _{3,3} +F _{4,3} +F _{5,3} +F _{6,3} +F _{7,3}) (-) (H _{23,6}) (-) (I _{7,6})			

5. Impose check on the following and give observations against each item

Sl. No.	Check points	Observations (Yes-1/No-2)
1.	Whether codes and identification particulars have been correctly furnished in Block A?	
2.	Whether information for all the items in Block B have been correctly furnished?	
3.	If the working capital in item 16 of Block D is negative whether reasons furnished in the footnote of Block D of the Return and also in Block N along with code.	
4.	Whether the return has been duly signed by owner with stamp?	
5.	If wide variation is noticed between Opening & Closing value of Working Capital, whether reasons furnished in the footnote of Block D and also in Block N along with code	
6.	Whether special check has been made in case of negative GVA?	
7.	Whether basic entries have been thoroughly rechecked where output/input ratio is less than 0.5	
8.	Whether ratio of Distributive expenses to gross sales is reasonable? If no, whether the relevant entries have been rechecked particularly where this ratio exceeds 20%.	
9.	If the total Bonus is more than 20% of total wages/salaries whether suitable remarks given in the Return?	
10.	If sale value of goods sold in same condition as purchased (Item-11 of Block G) is less than the purchase value of the same (Item-11 of Block F), whether reasons furnished in the return ?	
11.	Whether Balance Sheet, Profit & Loss Account and Working Sheet are attached with the O/C of the Return ?	
12.	Whether, the ex-factory value of output in column-13 of Block J have been calculated correctly for each of the 10 major items of product and by-product and also for item 11 ?	
13.	Whether the entries in Blocks H & I are reported independently ?	

Signature of the Superintending Officer

()
Name of the Superintending Officer

PART-B (To be filled in by Scrutinizing officer)		
Impose check on the following and give observations against each item		
Sl. No.	Check points	Observations (Yes-1/No-2)
1.	Examine the Industry Code with reference to Production/Process and state whether Industry Code is reported in 5 digit NIC 2008 against item 5 of Block A.	
2.	Whether valid new State Code has been entered against item 7 of Block 'A'?	
3.	Whether Schedule Despatch no. has been correctly filled in against item 1 of Block A ?	
4.	State whether proper remarks in Block N for all important parameters such as GVA, working capital, wage rate, number of workers, distributive expenses, depreciation etc. are given.	
5.	Whether average salaries/wages per manday worked (worker) has been checked calculated correctly and are within the reasonable limits?	
6.	Whether special check has been made in case of negative GVA?	
7.	Whether basic entries have been rechecked where output/Input ratio is less than 0.5	
8.	Whether ratio of distributive expenses to gross sales is reasonable? If no, whether the relevant entries have been rechecked particularly where this ratio exceeds 20%.	
9.	If total bonus exceeds 20% of total salaries & wages, whether suitable remarks furnished ?	
10.	Whether yield ratio of products from basic materials consumed (in case the units of quantity are common or directly convertible) are correctly calculated and are within prescribed limits ?	
11.	Whether data reported in the return have been checked with Balance Sheet and Profit & Loss Account ?	

Signature of Scrutinizing officer

()
Name of Scrutinizing officer

